OA(IIu)/PNBE/ 63/2020

वन्दना देवी (APPLICANT/s)

बनाम (VERSUS)

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता (RESPONDENT/S)

Date	Order	Remarks
14.08.2025	याची के विद्वान अधिवक्ता : अनुपस्थित । प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता : श्री राधिका रमण उपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण याची साक्ष्य हेतु नियत है। न्यायालय के बाहर बार–बार पुकार कराये जाने पर न तो याचिनी स्वयं और न ही याचिनी के अधिवक्ता आज न्यायाधिकरण में उपस्थित हुए हैं। याचिनी को इस कार्यालय द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये है, किन्तु कार्यालय द्वारा यह बताया गया है कि याचिनी वन्दना देवी पर नोटिस भेजा गया था। किन्तु पोस्टमैन की इस आख्या के साथ " **इस नाम का आदमी रानी तालाब में नहीं रहती है वापस किया जाता है** " के आख्या के साथ वापस आ गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2019 का है । याचिनी के तरफ से इस वाद में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है। अतः वाद को खारिज किया जाये। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि याचिनी को दिनांक 28.07.2022, 02.02.2023, 20.06.2023 को याचिनी साक्ष्य हेतु समय दिया गया था, परन्तु याचिनी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, नियत दिनांक 26. 09.2023 को याचिनी के अधिवक्ता कुमारी रिंकी सिन्हा उपस्थित हुई थी और उसके अनुरोध पर याचिनी साक्ष्य के लिए एक अंतिम अवसर दिया गया था, इसके बावजूद भी नियत तिथि दिनांक 25.04.2024, 29.10. 2024, 09.04.2025 को भी याचिनी स्वयं या याचिनी के अधिवक्ता उपस्थित हुए न ही कोई याची साक्ष्य प्रस्तुत किया गया । उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि याचिनी अपना वाद को आगे चलाने में इच्छुक नहीं है और याचिनी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अतः याचिनी का वाद उसकी अनुपस्थिति के कारण खारिज (Dismissed for default) किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर किया जाये। सदस्य (तकनीकी) रेल दावा अधिकरण, पटना।	